न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 115–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–12–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 758/अपील/2012–13.

श्रीमती भारती देवी पत्नि श्री जय कुमार
निवासी वार्ड नं0 7, बुधनी, तहसील
बुधनी जिला सीहोर म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1. शंकरलाल पुत्र श्री गोकल प्रसाद
2. बेनी प्रसाद पुत्र श्री गोकल प्रसाद
   निवासी ग्राम माना तहसील बुधनी
   जिला सीहोर म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक आवेदक
श्री एम0एल0 यादव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 31 अगस्त 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका भारती देवी ने तहसीलदार बुदनी के समक्ष संहिता की धारा 250 म0प्र0 राजस्व संहिता का आवेदन पेश कर ग्राम तालपुरा स्थित कृषि भूमि खसरा कं 119 रकबा 3.71 एकड़ का सीमांकन तहसीलदार 50/अ–12/10–11 में पारित सीमांकन आदेश के द्वारा आवेदिका की भूमि पर अनावेदकगण का 1.00 एकड़ भूमि पर तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 3/अ–70/10–11 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की।

अनावेदकगण द्वारा आवेदक के दावे का जबाव प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 31–12–2012 के द्वारा अनावेदकगण को अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिये। तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकग ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 17–5–2013 के द्वारा तहसीलदार का आदेश अपास्त करते हुये अपील स्वीकार की तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि प्रथमतः अधीनस्थ न्यायालय यह सुनिश्चित करें कि प्रकरण एमपीएलआरसी 1959 की धारा 250 के तहत प्रचलन योग्य है या नहीं तद्नुसार उभय पक्षों को सुनकर उचित आदेश पारित करें। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 16–12–2014 में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में तहसीलदार द्वारा पारित किये गये आदेश को अपास्त किये जाने संबंधी विवेचना को उचित माना तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के इस अंश को "प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रथमतः अधीनस्थ न्यायालय यह सुनिश्चित करें कि प्रकरण एम0पी0एल0आर0सी0 1959 की धारा 250 के तहत प्रचलन योग्य है या नहीं तद्नुसार उभयपक्षों को सुनकर उचित आदेश पारित करें।" अनुविभागीय अधिकारी के इस अंश को विलोपित करते हुये शेष अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क किया कि तहसीलदार ने संहिता की धारा 129 के अनुसार दिनांक 13–5–11 को आदेश पारित किया था जिसमें अनावेदकगण का एक एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया था। तहसीलदार के उक्त सीमांकन आदेश को अनावेदकगण द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं देने से वह अंतिम हो गया है। यह भी तर्क किया कि तहसीलदार के सीमांकन आदेश के पश्चात धारा 250 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही में अनावेदक की सीमांकन संबंधी आपत्ति को सही मानने में त्रुटि की तथा अनुविभागीय अधिकारी ने भू–राजस्व संहिता की धारा 49 के संशोधन की ओर ध्यान नहीं दिया है

इसके अंतर्गत अपील को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का अधिकार नहीं है। तर्क में यह भी कहा कि अनुविभागीय अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि संहिता की धारा 250 के अंतर्गत 129 की आपत्तियों को आक्षेपित नहीं किया जा सकता जबकि उनके द्वारा सीमांकन प्रकिया का ही उल्लेख करते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया था। अपर आयुक्त ने सीमांकन प्रकिया संबंधी त्रुटिपूर्ण आदेश को उचित मानने में अवैधानिकता की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त कर तहसीलदार का आदेश यथावत रखा जाये।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि आवेदिका ने भूमि सर्वे कमांक 119 रकवा 3.71 एकड भूमि का सीमांकन कराया था। राजस्व निरीक्षक ने उक्त सीमांकन में सभी सीमावर्ती कृषकों को सूचना नहीं दी थी। अनावेदकगण का सर्वे कमांक 120/1/1 एवं 120/2/1 है। सीमांकन आदेश में अनावेदकगण का अवैध कब्जा दर्शाया दिया गया। तर्क में यह भी कहा कि अनावेदकगण ने लगभग 25–30 पूर्व भूमि कय की थी तथा जब से ही वे अपनी भूमि पर काबिज कर कास्त करते चले आ रहे हैं। यह तथ्य ग्राम कोटवार ने तहसील न्यायालय ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है। यह भी कहा कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में यह सही पाया कि तहसीलदार ने सीमांकन नियमों का पालन नहीं किया परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने संहिता में हुये नवीन संशोधन के फलस्वरूप पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की थी इसलिए उनके द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से प्रत्यावर्तन अंश निरस्त कर शेष तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने संबंधी निष्कर्ष को उचित माना है। अपर आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं की है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका भारतीदेवी ने सीमांकन प्रकरण कमांक

50/अ–12/10–11 में पारित आदेश दिनांक 20–4–11 के पश्चात दिनांक 1–6–11 को संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन तहसीलदार बुधनी को प्रस्तुत किया। अनावेदकगण ने दिनांक 25–6–12 को संहिता की धारा 129 सहपठित धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सीमांकन में उन्हें बिना सूचना दिये किये गये सीमांकन को निरस्त कर बेदखली की कार्यवाही निरस्त करते हुये पुनः सीमांकन किये जाने का अनुरोध किया। तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 6–7–12 को अनावेदकगण का उक्त आवेदन इस आधार पर निरस्त किया गया है कि संहिता की धारा 129 के प्रावधान इस स्तर पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा संहिता के प्रावधान अनुसार अनावेदकगण का आवेदन को उसी स्तर पर निराकृत कर निरस्त किया जा चुका था। इसके पश्चात तहसीलदार ने अंतिम आदेश दिनांक 31–12–12 को पारित कर अनावेदकगण के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया। अनावेदक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि अनावेदगण को सीमांकन प्रकरण में विधिवत सूचना जारी नहीं की गई तथा उनकी अनुपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही संपादित की गई थी इसलिए उसके द्वारा धारा 250 की कार्यवाही में सीमांकन की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिसे विचार में न लेकर बेदखली आदेश पारित किया है, मान्य किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न सीमांकन प्रकरण के सत्यापित प्रति की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण की ओर से अनावेदक बेनीप्रसाद द्वारा सूचना पत्र प्राप्त किये हैं तथा हस्ताक्षर भी किये हैं। अतः अनावेदकगण का यह कहना उचित नहीं है कि उसे सीमांकन की सूचना नहीं दी गई थी। जहां तक आवेदक के विद्वान अभिभाषक उठाये इस तर्क का प्रश्न है कि संहिता की धारा 250 के प्रकरण में धारा 129 की आपत्ति उठाई नहीं जा सकती है उचित हैं क्योंकि यदि सीमांकन उपरांत बेदखली की कार्यवाही में सीमांकन को पुनः चुनौती दी जाती है एवं उक्त आपत्ति को विचार क्षेत्र में लिया जाता है तो प्रकिया अंतहीन हो जायेगी। इस संबंध में 2005 आर एन 178 अमरीबाई विरूद्ध मांगीलाल में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत

प्रतिपादित किया गया है–''(2) भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) –– धारा 129 तथा 250 – धारा 250 के अधीन कार्यवाही समांकन का मामला धारा 129 के अधीन पूर्व में विनिश्चित–इसमें आक्षेपित नहीं किया जा सकता।''

इसी प्रकार 2006 आर एन 415 अरमान खान विरूद्ध श्याम मोहन तथा अन्य में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–''भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) –– धारा 250 तथा 129 – सीमांकन पर आवेदक भूमिस्वामी की कुछ भूमि अनावेदक के कब्जे में पाई गई––सीमांकन मामले को चुनौती नहीं दी गई–– धारा 250 के अधीन भूमि आवेदक को प्रत्यावर्तित की जा सकती है।'' 1966 जेएलजे 820, 1962 आर एन 114 तथा 325 तथा 1987 आर एन 438 अवलंबित।

चूंकि अनावेदकगण सूचना के उपरांत सीमांकन में उपस्थित नहीं हुये तथा इसके पश्चात अनावेदकगण द्वारा उक्त सीमांकन को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने से वह अंतिम हो चुका है इसलिए उन्हें धारा 129 की आपत्ति को बेदखली की कार्यवाही उठाने का कोई अधिकार नहीं था। इस संबंध में मुरलीधर तथा अन्य विरूद्ध राजस्व मण्डल में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है – '' (2) भू–राजस्व संहिता 1959, (म0प्र0) – धारा 250 तथा 129– सीमांकन में सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं– प्रथक कार्यवाही में आक्षेपित नहीं किया गया– अंतिमता प्राप्त–धारा 250 के अधीन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।''

इसी प्रकार के न्यायदृष्टांत 2013 आर एन 277 मुरलीधर तथा अन्य अन्य विरूद्ध राजस्व मण्डल में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किये गये हैं।

स्पष्ट है कि यदि सीमांकन की जानकारी हितबद्ध व्यक्ति को थी और उसके द्वारा सीमांकन को सक्षम न्यायालय में चुनौती न देकर सीमांकन के अनुकम में की जा रही संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जा सकती। इसी कारण तहसीलदार ने अपने अंतरिम आदेश में अनावेदकगण की आपत्ति को निरस्त किया है जिसकी पुष्टि इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3495–दो/12 में पारित आदेश दिनांक 6–9–12 से की जा चुकी है,

इसके पश्चात तहसीलदार ने प्रकरण में अंतिम आदेश दिनांक 31–12–12 में अनावेदकगण को अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिये हैं। तहसीलदार द्वारा की पारित आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का प्रश्न है दिनांक 31–12–11 हुये संशोधन में संहिता की धारा 49(3) के परन्तुक के अनुसार अपील प्राधिकारी, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मामले को निपटाने के लिए प्रतिप्रेषित नहीं करेगा। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण को तहसीलदार को प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की है। तथा जैसा कि उपर विश्लेषण किया गया है, संहित की धारा 250 के प्रकरण में 129 की आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है इस बिन्दु पर भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन के अंश को निरस्त करने में तो विधिक कार्यवाही की है, परन्तु लम्बे समय से कब्जा होने से भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश को उचित नहीं मानने में त्रुटि की है क्योंकि अवैध कब्जे को हटाने में की गई कार्यवाही को किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं कहा जा सकता। इस बिन्दु पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित ~~मान्य~~ आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है। इस कारण अपर आयुक्त का आदेश इस बिन्दु पर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी 17–5–13 एवं अपर आयुक्त 16–12–14 के आदेश निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार बुधनी का आदेश दिनांक 31–12–12 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर